# कोटपा एक्ट का पालन नहीं करने वाले 8 पान ठेला पर हुई चालानी कार्यवाही

- लोगों को जागरूक करने निकली जागरूकता रथ
- नियमों के पालन हेतु दिए गए निर्देश, कोटपा एक्ट बोर्ड का किया गया वितरण

**रायगढ़।** तम्बाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के दिशा-निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री रंजना पैंकरा के मार्गदर्शन में रायगढ़ शहरी क्षेत्र में बेलादुला सिग्नल चौक क्षेत्र के आस-पास स्थित पान ठेलाओं में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं औषधि विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरों के द्वारा संयुक्त रूप से कोटपा एक्ट बोर्ड नहीं लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 8 पान ठेलों के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 1500 रूपये की वसूली की गई। साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये एवं कोटपा एक्ट-2003 बोर्ड वितरण किया गया।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी ने बताया कि कोटपा एक्ट अधिनियम धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर लंबाई 60 से.मी. एवं चौड़ाई 30 से.मी.का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थो को बेचने वाली दुकानो पर लंबाई 60 से.मी.व चौड़ाई 45 से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादो (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है। धारा 6, के तहत 18 वर्ष से कम आयुवर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। जिसका उल्लंघन करने पर तथा 200 रूपये तक का जुर्माना हो सकता।

धारा 7 के तहत् बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञाप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहा तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहा कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है। उक्त चालानी कार्यवाही में थाना प्रभारी नंदलाल पैकरा के नेतृत्व में सैलेन्द्र सिंह, सुश्री सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से विजय कुमार राठौर, सविता रानी साय एवं संतोषी राज ड्रग इंस्पेक्टर की सहभागिता रही।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झण्डी

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 17 मार्च तंबाकू उत्पाद निषेध अभियान दिवस के उपलक्ष्य में कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायगढ़ से जन-जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ समस्त शासकीय कार्यालय, भवन, स्कूल, कालेज, सार्वजनिक स्थलों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्राम पंचायतों इत्यादि में जाकर तंबाकू से शरीर में होने वाले हानि के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी। इस मौके पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.बी.पी.पटेल, कु.सीमा बरेठ, उमा महंत आदि उपस्थित रहे।

# बिहान योजना से महिलाएं हुई आर्थिक रूप से सशक्त, आयमूलक गतिविधियों से कमा रही हजारों का मुनाफा

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ के वनांचल एवं सुदूर क्षेत्रों में स्थित गांवों में निवासरत महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लेकर उन्होंने आयमूलक गतिविधियां करना शुरू किया है, जिससे उनके जीवन में नया सबेरा आया है। वे आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। कोंडागांव जिला में एनआरएलएम से प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त कर फरसगांव विकासखंड के अंतर्गत ग्राम मोहलई की जय मां बमलेश्वरी स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सब्जी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। समूह की फूलन बाई पांडे बताती हैं कि समूह के द्वारा लगभग ढाई एकड़ कृषि भूमि पर करेला एवं मिर्ची की खेती की जा रही है। इसके लिए समूह को योजनांतर्गत बैंक लिंकेज के माध्यम से 2 लाख रुपए का ऋण निम्न ब्याज दर पर प्राप्त हुआ था, जिसे खेती में लगाकर आजीविका संवर्धन किया जा रहा है। अब तक उनके द्वारा सब्जी बेचकर लगभग 70 हजार रुपए तक का शुद्ध आय प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही महिलाएं मछली पालन का भी कार्य कर रही है, जिससे उन्होंने अब तक 70 हजार 800 रुपए कमाया है। कोंडागांव के ही फरसगांव ब्लॉक के ग्राम पंचायत हिर्री की मां शीतला स्व-सहायता समूह मछली पालन का कार्य कर रही है। इसके लिए समूह को योजनांतर्गत बैंक लिंकेज के माध्यम से 5 लाख रूपए का ऋण निम्न ब्याज दर पर प्राप्त हुआ था। महिलाओं ने मछलियों का स्थानीय बाजारों में विक्रय कर अब तक 65 हजार रुपए तक का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। फरसगांव ब्लॉक के ही ग्राम पंचायत मोदे के सूरज स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दिसंबर 2021 से छोटे स्तर पर मुर्गी पालन का कार्य किया जा रहा है। इस व्यवसाय से समूह की महिलाओं को अब तक 65 हजार 300 रुपए का शुद्ध आय प्राप्त हो चुका है। फरसगांव ग्राम ब्लॉक के ही ग्राम पंचायत कोर्राबडग़ांव के वसुंधरा स्व-सहायता समूह की महिलाएं अप्रैल 2022 से किराना दुकान संचालन का कार्य कर रहे हैं, जिससे समूह की महिलाओं को अब तक 54 हजार रुपए तक का शुद्ध आय प्राप्त हो चुका है। समूह की महिलाएं बताती हैं कि बिहान समूह से जुडऩे से पहले वे सभी पारंपरिक खेती किसानी के साथ गृह कार्य ही किया करती थी। बिहान समूह से जुडऩे के पश्चात उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है अब वे सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ पारिवारिक खर्चों में भी अपना योगदान प्रदान कर पा रही हैं। जिससे वे सभी बहुत खुश हैं तथा आत्मनिर्भर बनकर गर्व के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत महिलाओं को रोजगार से जोडक़र सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान का शुभारंभ किया गया है।

# राशन मामले पर भारी हंगामा, कार्यवाही स्थगित

**रायपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज राशन घोटाले के आरोप पर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच भारी नोंकझोंक के दौरान भाजपा सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढऩे पर अध्यक्ष चरणदास महंत ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने इस मामले की जांच विधायकों की समिति से कराने की मांग करते हुए नारेबाजी की। जिसके जवाब में कांग्रेस सदस्यों ने भी नान घोटाले को लेकर नारेबाजी की। इस टकराव के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से सवाल किया कि क्या शासन ने राशन दुकानों में आगामी दो माह के, शत प्रतिशत अनाज, शक्कर आवंटन संबंधी नियम बनाया है, यदि हां, तो कब से प्रचलन में है? क्या लगातार दो माह शत प्रतिशत अनाज, शक्कर आवंटन देने के बाद, तीसरे महीने, बीते दो महीनों में, वितरण के बाद बचे अनाज और शक्कर की मात्रा को घटाकर, तीसरे महीने शेष आवंटन देने का प्रावधान है? यदि हां, तो जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक की अवधि में, प्रदेश की राशन दुकानों में, शेष बचत की माहवार, जीन्स वार मात्रा और उसको घटाकर दिए गए.

# जागरूकता कार्यक्रम : डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों को बताया अभिव्यक्ति ऐप की विशेषताएं

**रायगढ़।** अभिव्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम के क्रम में आज डीएसपी निकिता तिवारी के साथ पुलिस महिला रक्षा टीम के सदस्यों ने किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चक्रधरनगर में छात्र-छात्राओं को साइबर क्राईम, महिला संबंधी विविध अपराधों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। डीएसपी निकिता तिवारी छात्र-छात्राओं और कॉलेज के अध्यापकगण के साथ अभिव्यक्ति ऐप, साइबर क्राइम, पॉक्सो एक्ट, शिक्षा का अधिकार जैसे विषयों पर चर्चा किया गया। डीएसपी निकिता तिवारी ने अभिव्यक्ति ऐप की विशेषताओं की जानकारी देकर मोबाइल पर इंस्टाल करने प्रेरित किया गया तथा प्रमुख रूप से स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखा जाए इस पर खास जोर दिया गया और वर्तमान में हो रहे साइबर क्राईम की जानकारी देकर इंटरनेट, मोबाइल का सुरक्षित उपयोग करने बताया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्रोफाइल को लॉक रखने और निजी फोटो/विडियो शेयर करने से बचने की सलाह दी। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स और शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महिला रक्षा टीम प्रभारी सहायक उप निरीक्षक मंजु मिश्रा और रक्षा टीम के स्टाफ भी उपस्थित थे।

# बकरी की खातिर ले ली बीवी की जान, आरोपी पति चंद घंटों में गिरफ्तार

**कांकेर (आरएनएस)।** एक पति ने कुल्हाड़ी मारकर अपनी पत्नी की जान इसलिए ले ली कि उसने बकरी को चरने के लिए नहीं छोड़ा था। इतनी सी बात पर आग बबूला हुए पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार विगत दिवस सुबह रनाय बाई कुमेटी पति दस्सू राम कुमेटी महुआ बीनने एवं लकड़ी लेने के लिए खेत गई थी। खेत जाने की जल्दबाजी में बकरी को चरने के लिए ले जाना भूल गई। शाम को रनाय बाई का पति दस्सु राम कुमेटी पिता सूद राय उम्र 36 वर्ष शराब के नशे में खेत आया और बकरी को चरने के लिए नहीं छोडऩे के कारण पत्नी से इतना नाराज हुआ कि उसके सिर पर खून सवार हो गया। खेत में अपनी पत्नी रनाय बाई के पास जाकर उसे गाली गलौज करने लगा और गुस्से में कुल्हाड़ी के बेट से अपनी पत्नी पर प्राण घातक प्रहार कर दिया जिससे रनाय बाई खेत में ही बेहोश होकर गिर गई। उनका लडक़ा मेहतू राम कुमेटी अपनी मां को मार खाते हुए दूर से देख रहा था, परंतु अपने पिता के द्वारा उसे भी मारे जाने के डर के कारण बीच बचाव करने नहीं आया। थोड़ी देर बाद पिता के वहां से चले जाने व मां के होश में आने के बाद लडक़ा मेहतु राम अपनी मां को खेत में बने लाड़ी में ले जाकर पानी पिलाया लेकिन आरोपी दस्सू राम द्वारा कुल्हाड़ी के बेट से किया गया प्रहार प्राण घातक साबित हुआ और हमले से रनाय बाई को लगी अंदरूनी चोटों के कारण कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु की सूचना आरोपी दस्सू द्वारा गांव में एवं रिश्तेदारों में किसी को नहीं दी गई।

अगले रोज मृतिका रनाय बाई के भाई मंगुराम नूरेटी ने दस्सू राम कुमेटी के द्वारा रनाय बाई की हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शलभ कुमार सिन्हा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक कांकेर के मार्गदर्शन, खोमन लाल सिन्हा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतागढ़, अमरनाथ सिदार पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंतागढ़ निर्देशन में थाना प्रभारी ताड़ोकी उप निरीक्षक अजय साहू एवम हमराह स्टाफ के द्वारा सूचना मिलने के चंद घंटों के भीतर ही आरोपी दस्सू राम कुमेटी पिता सूद राय उम्र 36 वर्ष साकिन मलमेटा थाना ताड़ोकी को गिरफ्तार कर आज दिनांक 17.03.23 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

# जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में दल से बिछड़ कर गांव पहुंचा हाथी का शावक, दल से मिलाने की तैयारी में जुटा वन विभाग

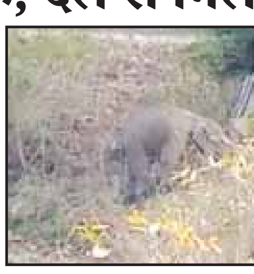

**जशपुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तपकरा क्षेत्र में नन्हा हाथी अपने दल से भटक कर गांव में आ गया है. दल से बिछड़े हाथी शावक ने वन कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है. वन विभाग हाथी शावक की सतत निगरानी करने में लगा है और उसे दल से मिलाने की तैयारी में जुटा हुआ है. वहीं ग्रामीणों में हाथी के शावक को देखने की होड़ मची हुई है. हाथी शावक ने गांव में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है।

वन मंडल अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस हाथी शावक की रात और दिन को सतत निगरानी करने के लिए वन कर्मियों के दो अलग-अलग दल तैनात कर दिए गए हैं।

ऐसी संभावना है कि राज्य की सीमा से लगा जंगल के किनारे पत्तों में आग के चलते अपने हाथियों के दल से यह शावक भटक गया है. इसी वजह से शावक तपकरा क्षेत्र के मृगखोल गांव के आसपास में विचरण कर रहा है. जंगल छोडक़र रिहायशी इलाके में आ जाने से इस नन्हे शावक से ग्रामीणों को भले खतरा नहीं है. लेकिन हाथी शावक की आवारा कुत्ते तथा अन्य खतरों से लगातार देखरेख करनी पड़ रही है.

वन विभाग ने इस हाथी के शावक को उसके दल से मिलाने के प्रयास में जुट गई है. इसके लिए वन अधिकारियों ने पड़ोसी राज्य ओड़िसा और झारखंड के वन अधिकारियों से सम्पर्क करना शुरू कर दिया है।

**चार माह पहले भी बिछड़ा था शावक-** इस घटना के 4 माह पहले भी एक अन्य हाथी शावक अपने दल से बिछड़ कर तपकरा का समडमा गांव आ गया था. वन विभाग को उसे विश्राम गृह में पशुचिकित्सक की देखरेख में रखना पड़ा था. उस नन्हे शावक को भी हाथियों के दल से मिलवाने के सभी प्रयास विफल हो जाने के बाद, अंतत: तमोर पिंगला हाथी सरंक्षण गृह में भेजा गया था।

## महत्वपूर्ण एवं खास

### डिवाइडर में टकराते ही लगी आग : ट्रक में लदा 33 टन माल जलकर स्वाहा

**महासमुंद (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में ट्रक सडक़ किनारे डिवाइडर से जा टकराई। टकराने के बाद से ट्रक में आग लग गई। जैसे -तैसे चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक जलकर राख हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना लोहराकोट गांव के पास हुई है। रायपुर सिलतरा से कच्चा माल लोड कर ओडिशा के झारसुगड़ा जा रही ट्रक सडक़ डिवाइडर से जा टकराई। टकराने के बाद से ट्रक में आग लग गई। जैसे -तैसे चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक जलकर राख हो गया है। वहीं ट्रक में 33 टन माल था। जिसकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। सभी सामान जलकर राख हो गया। फ़िलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है।

### बस्तर के कांगेर घाटी में कपड़ों से भरा ट्रेलर पलटा, कई घंटे रहा जाम, तमिलनाडु से रायपुर जा रहा था

**जगदलपुर (आरएनएस)।** बस्तर जिले के दरभा मार्ग में बसे कांगेर घाटी में एक ट्रेलर वाहन पलटने से मार्ग जाम हो गया। जिसके बाद राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी ट्रेलर को सडक़ से हटाया नहीं जा पाया। जानकारी देते हुए दरभा थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा ने बताया की तमिलनाडु से रायपुर जाने के लिए ट्रेलर निकला था। जो कपड़ों से भरा हुआ था। बुधवार को जैसे ही ट्रेलर कांगेर घाटी में पहुंची अचानक वाहन चला रहे चालक का नियंत्रण बिगडऩे से सडक़ के बीचों बीच पलट गया। इस घटना के बाद दोनों ओर से आने वाली वाहनों का जाम लग गया। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस टीम भी मौके पर आ पहुंची। जहां वाहन चालकों को कामानार व दरभा में ही रोक दिया गया। जबकि छोटे वाहन को तीरथगढ़, पखनार मार्ग से मार्ग परिवर्तित कर भेजा गया।

### सेंट्रल जेल में कैदी की मौत: तबीयत बिगड़ी तो ले गए अस्पताल, मौत का कारण अज्ञात

**अंबिकापुर (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगडऩे पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। मिली जानकारी के अनुसार, अम्बिकापुर सेंट्रल जेल में कैदी रामविलास हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। अचानक तबीयत बिगडऩे पर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत बताया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा मौत का कारण डॉक्टरों ने मौत की वजह फिलहाल हार्ट अटैक बताया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा।

### शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

**बेमेतरा (आरएनएस)।** शादी के प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 23 जनवरी 2023 को प्रार्थीया ने थाना चंदनू में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 मई 2022 के 11 बजे देवीलाल साहू पिता मोहन साहू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर देने व शादी करने से मना करते हुये जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर थाना चंदनू में अपराध सदर धारा 376, 376(2)(एन), 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में फरार आरोपी पतासाजी विवेचना के दौरान थाना चंदनू क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला आरोपी देवीलाल साहू को पकडा गया। जिनके के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से 15 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

# पिकअप चोर गिरफ्तार : जूटमिल पुलिस ने चोरी हुए पिकअप को ब्रजराजनगर से किया बरामद

**रायगढ़।** गत 13 मार्च को जूटमिल के कोड़ातराई से चोरी पिकअप के चोर को जूटमिल पुलिस गिरफ्तार कर आरोपी से चोरी का वाहन बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी रोहित भारद्वाज अपने साथी अनिल मिश्रा के साथ पिकअप चोरी कर ओड़िशा ब्रजराजनगर नदी घाट तिराहा के पास छिपाकर रखा था।

जानकारी के मुताबिक 14 मार्च को थाना जूटमिल में कोडातराई प्रहलाद यादव के किराये के मकान में रहने वाला विकास कुमार वर्मा (36 साल) रिपोर्ट दर्ज कराया कि अपने पीकप क्र सीजी 12 एस 2655 में सिमेंट गमला बना कर बेचने का काम करता है। दिनांक 13-14/03/2023 के दरम्यानी रात कोई चोर मकान के सामने खड़ी पिकअप को चोरी कर ले गया था, चोरी की रिपोर्ट पर धारा 379 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। थाना प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल के निर्देशन पर जूटमिल पुलिस जांच के क्रम में घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किये गये। माल मुल्जिम पतासाजी दौरान वाहन के मुख्य मार्ग से उड़ीसा की ओर जाने के सबूत मिले थे। साथ ही एक संदिग्ध बाइक भी घटना दिनांक को देखा गया था। जूटमिल पुलिस इस ओर मुखबिर लगाकर विवेचना किया जा रहा था कि आज मुखबिर सूचना पर वाहन चोरी के संदेह पर गोड़म सारंगढ़ क्षेत्र के बदमाश रोहित भारद्वाज को हिरासत में ली जो पूर्व में चोरी के मामले में चालान हुआ है। संदेही को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करने पर रोहित भारद्वाज अपने साथी अनिल मिश्रा निवासी जूटमिल के साथ मिलकर पिकअप की चोरी करना कबूल किया। आरोपी रोहित भारद्वाज बताया कि पूर्व में चोरी के मामले में जेल गया था। जेल में रहने के दौरान अनिल मिश्रा से जान-पहचान हुआ, अनिल मिश्रा भी चोरी के मामले में जेल में था। जेल से छूटने के बाद अनिल मिश्रा से कभी कभी मुलाकात होता था, एक दिन अनिल मिश्रा गांव गोडम आया था। दोनों रात को गोडम से कोड़ातराई की ओर आए, कोड़ातराई में रोड के किनारे एक पिकअप क्रमांक सीजी 12 एस 2655 को खड़ी देखें जिसे चुराने के इरादे से दोनों पिकअप के पास गए। अनिल मिश्रा पिकअप के लॉक को खोल कर वाहन को डायरेक्ट चालू किया और चलाते हुए ब्रजराजनगर उड़ीसा नदी घाट तिराहा के पास लेकर गया। उसके मोटरसाइकिल को चलाते हुए पीछे-पीछे ओडिशा तक गया। दोनों ओड़िशा से बाइक में वापस आकर पिकअप को बिक्री के लिए ग्राहक तलाश कर रहे थे। जूटमिल पुलिस ब्रजराजनगर से चोरी पिकअप वाहन सीजी 12 एस 2655 सफेद रंग कीमत डेढ़ लाख रुपए जप्त कर आरोपी रोहित भारद्वाज पिता विष्णु भारद्वाज उम्र 35 साल निवासी गोडम थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अनिल मिश्रा फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। माल मुल्जिम की पतासाजी में थाना जूटमिल के सहायक उप निरीक्षक शशिदेव भोय, प्रधान आरक्षक संजय मिंज, आरक्षक बनारसी सिदार, शशिभूषण साहू की प्रमुख भूमिका रही है।


SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

**Social Justice Union**

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

**अधिकार से न्याय तक**

**आवश्यकता**

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.वी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

**उद्देश्य एवं नियुक्तियां**

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

**मुख्य बिन्दु**

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

**पीड़ित संपर्क करें**

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

**अन्य बिन्दु**

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU